राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, पीठ जोधपुर

अपील संख्या 813/2016

डॉ एस पी व्यास —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.11.2024

अपीलार्थी की ओर से : श्री हेमन्त श्रीमाली, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :— चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने वर्ष 1999—2000 के लिए आयोजित डीपीसी के अंतर्गत अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा प्रदत्त किए गए पदोन्नति की तिथि से ही अपीलार्थी को भी कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर पदोन्नत किए जाने एवं इससे संबंधित अनुषांगिक लाभ प्रदत्त किए जाने का अनुरोध किया है।

अपील अपीलार्थी के संक्षिप्त तथ्य यह है कि अपीलार्थी को लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित किया जाकर सिविल एसिसटेंट सर्जन के पद पर दिनांक 24.09.1986 को नियुक्ति प्रदान की गई। अपीलार्थी द्वारा जनरल मेडिसन परीक्षा दी गई जिसका परिणाम दिनांक 21.03.1994 को जारी किया गया। उक्त परीक्षा में अपीलार्थी को सफल घोषित किया गया। अपीलार्थी का राजस्थान सिविल सर्विस (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1989 में वेतन नियतन के समय दो वार्षिक वेतन वृद्धियां प्रदान की गई (अनुलग्नक—2)। अपीलार्थी दिनांक 31.05.2011 को राज्य सेवा से सेवानिवृत्त हो गया (अनुलग्नक—3)। विभाग द्वारा वर्ष 2007—08 से 20010—11 की रिक्तियों के विरूद्ध डीपीसी की अनुशंषा में अपीलार्थी को रिक्ति वर्ष 2008—09 के विरूद्ध पदोन्नति आदेश दिनांक 06.12.2012 द्वारा कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई (अनुलग्नक—4) । डॉ कुमार केवल रमानी को सीधी भर्ती के

तहत् लोक सेवा आयोग की अभिशंषा पर आदेश दिनांक 12.08.1990 (अनुलग्नक–5) द्वारा मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। आदेश दिनांक 24.05. 2001 (अनुलग्नक–6) के द्वारा डॉ कुमार केवल रमानी को मेडिकल ऑफिसर को कनिष्ठ विशेषज्ञ मेडिसन के पद पर रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध पदोन्नत किया गया। डॉ कुमार जिनकी नियुक्ति दिनांक 21.08.1990 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई उसे रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध पदोन्नति की गई, जबकि वह अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक होने पर भी उसे अपीलार्थी से पहले पदोन्नति प्रदान कर दी गई। अपीलार्थी ने जानकारी होने पर प्रत्यर्थी विभाग से कई बार सम्पर्क किया। माह मई 2015 में अपीलार्थी के ध्यान में यह तथ्य आया कि उसके द्वारा एसीएआर समय पर प्रस्तुत नहीं करने के कारण उसके पदोन्नति प्रदान नहीं की गई। इस पर अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी विभाग को एक विस्तृत अभ्यावेदन दिनांक 04.07. 2016 प्रस्तुत किया (अनुलग्नक–7)। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 16.12.2012 द्वारा अपीलार्थी के सेवा निवृत्त होने के पश्चात् कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर रिक्ति वर्ष 2008–09 के लिए पदोन्नति प्रदान की गई। जबकी उससे कनिष्ठ कार्मिक का रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नत कर दिया गया। अतः अपीलार्थी ने इस अपील के माध्यम से अपील स्वीकार करते हुए वर्ष 1999–2000 के लिए आयोजित डीपीसी के अंतर्गत अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिकों आदेश दिनांक 24.05.2001 द्वारा प्रदत्त किए गए पदोन्नति की तिथि से ही अपीलार्थी को भी कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर पदोन्नत किए जाने एवं इससे संबंधित अनुषांगिक लाभ प्रदत्त किए जाने का अनुरोध किया है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से प्रकरण में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। अधिकरण के आदेश दिनांक 06.11.2023 द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान सरकार, जयपुर को यह निर्देशित किया गया है कि प्रकरण में समुचित पैरवी हेतु समुचित कदम उठाए जावे और प्रकरण में जवाब प्रस्तुत करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया था और यह भी आदेशित किया गया था कि जवाब प्रस्तुत नहीं होने की स्थिति में इस अधिकरण के समक्ष अपील में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निर्णय करने के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं रहेगा। अधिकरण के उक्त आदेश को एक साल से ज्यादा अवधि व्यतीत होने के बावजूद अभी तक प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

हमने उभय पक्ष को सुना और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन कर अनुशीलन एवं मनन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी की नियुक्ति दिनांक 24.09.1986 एवं उससे कनिष्ठ डॉ कुमार केवल रमानी की नियुक्ति दिनांक 12.08.1990 को हुई। जबकि डॉ रमानी को वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर पदोन्नति .रिक्ति वर्ष 1999–2000 के विरूद्ध कनिष्ठ विशेषज्ञ के पद पर की गई जबकि अपीलार्थी डॉ कुमार केवल रमानी से वरिष्ठ कार्मिक होने के उपरान्त भी अपीलार्थी को सेवा निवृत्ति के उपरान्त वर्ष 2008–09 की रिक्ति के विरूद्ध आदेश दिनांक 16.12.2012 द्वारा पदोन्नति प्रदान की गई है। प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से इस संबंध में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई, कि अपीलार्थी वरिष्ठ कार्मिक होने के बावजूद उससे कनिष्ठ कार्मिक को अपीलार्थी से पूर्व पदोन्नति प्रदान करने का क्या आधार रहा है।

अतः अपील को प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के प्रकरण के गुणावगुण पर परीक्षण करे एवं रिव्यू डीपीसी आयोजित किया जाकर अपीलार्थी के अन्यथा पात्र पाये जाने की दशा में दशा में कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन) के पद पर पदोन्नति प्रदान की जावे। यह भी निर्देशित किया जाता है कि इस आदेश की पालना 3 माह में सुनिश्चित की जावे एवं रिव्यू डीपीसी के परिणाम से अपीलार्थी को सम्यक् रूप से सूचित किया जावें।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतनराम देवड़ा)
सदस्य